1724/15 18/4/15

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 622591

कोषाधिकारी

कोषागार, आगरा

Director

32

"ओउम्"

विक्रय पत्र तादादी :- 4,70,000/- रुपया

सरकारी स्टाम्प :- 4,70,000/- रुपया की मालियत पर 7 प्रतिशत के अनुसार 33,000/- रुपया का अदा किया गया है।

सर्किल रेट :- माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी सर्किल रेट के पेज नम्बर 20 जमीन की दर 9,000/- रुपया प्रति वर्गमीटर निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत जमीन क्षेत्रफल 52.19 वर्गमीटर की मालियत 4,69,710/- रुपया होती है।

For Govind Infraplanner Private Limited

Director

536

स्टाम्प विक्रय की तिथि 18/4/15

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता गोविन्द [illegible] प्रा० लि० आगरा द्वारा निदेशक विशाल अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल नि० सी-64 कमला नगर आगरा

स्टाम्प की धनराशि 5000/-

संजय अग्रवाल
लाइसेन्स नं. 11/6
ला. की अवधि 31 मार्च 2016
सदर तहसील, आगरा

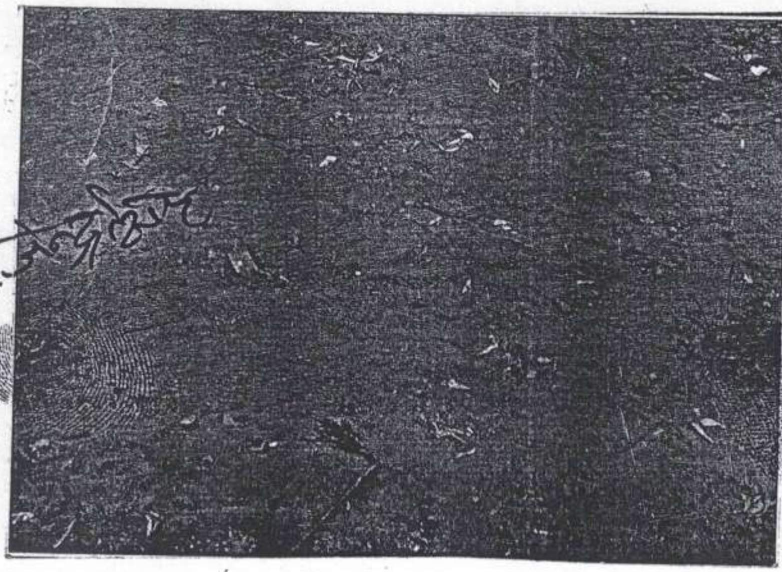

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 622592

(2)

कोषागार, आगरा

13

वार्ड/परगना	:-	सदर तहसील आगरा।
मौहल्ला	:-	दुर्गा नगर, मौजा बांईपुर तहसील व जिला आगरा।

विक्रीत जमीन का विवरण :- एक किता प्लाट संख्या 165 का जुज भाग मिनजुमला खसरा नम्बर 1511 क्षेत्रफल 52.19 वर्गमीटर पैमाइशी तरफ पूरब 48 फीट व तरफ पश्चिम 48 फीट व तरफ उत्तर 12 फीट 8 इंच व तरफ दक्षिण 10 फीट 9 इंच बाकै दुर्गा नगर, मौजा बांईपुर तहसील व जिला आगरा जो साथ लगे मानचित्र में व रंग लाल से दिखलाया गया है जिस पर कोई निर्माण नहीं है। खाली जमीन है। एक से अधिक रास्ता व पार्क फेस नहीं है।

For Govind Infraplanner Private Limited

Director

537
18/4/15
गोविंद इन्फ्रालैण्डस प्रा० लि० — 531 —

संजय अग्रवाल
लाइसेंस न. [illegible]
ला. की अवधि 31 मार्च 2016
सदर तहसील आगरा

विक्रय पत्र

470,000.00 /	444,000.00	9,400.00	20	9,420.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री विशाल अग्रवाल निदेशक
पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी सी 64 कमला नगर आगरा
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/4/2015 समय 3:27PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
मनीष कुमार सिंह
उप निबंधक प्रथम
सदर आगरा
18/4/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री राजेन्द्र सिंह
पुत्र श्री स्व0 देवी सिंह
पेशा व्यापार
निवासी नगला चुचाना बांईपुर आगरा

क्रेता
श्री विशाल अग्रवाल निदेशक
पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी सी 64 कमला नगर आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री ओमी कुमार
पुत्र श्री वेदराम
पेशा अन्य
निवासी नगला महल मौजा लखनपुर आगरा
व श्री मनो प्रकाश
पुत्र श्री ब्रहमस्वरूप
पेशा अन्य
निवासी मनोहरपुर आगरा
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
मनीष कुमार सिंह
उप निबंधक प्रथम
सदर आगरा
18/4/2015

राजेन्द्रसिंह ओमी कुमार मनोप्रकाश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3) BD 622593 BD 622593

कोषागार, आगरा

मापन की इकाई	:-	वर्गमीटर
सम्पत्ति का प्रकार	:-	आवासीय प्लाट
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:-	52.19 वर्गमीटर
सड़क की स्थिति	:-	9 मीटर से कम चौड़ी

विक्रीत जमीन सर्किल रेट प्रारूप 3 में वर्णित मुख्य मार्गों के सहारे नहीं है।

चौहददी :-

पूरब	:-	जुज भाग प्लाअ नम्बर 165 अन्य व्यक्ति
पश्चिम	:-	जमीन खसरा नम्बर 1502
उत्तर	:-	रास्ता 3.65 मीटर चौडा
दक्षिण	:-	प्लाट नम्बर 182

For Govind Infra... Private Limited

Director

538

स्टाम्प विक्रय की तिथि 18/4/15
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता गोविन्द इन्फ्रा प्रा०लि०
स्टाम्प की धनराशि 5000/-
संजय अग्रवाल
लाइसेन्स नं. 1
ला. की अवधि 31 मार्च 2016

531

विक्रेता

Registration No.: 1724 Year : 2,015 Book No. : 1

0101 राजेन्द्र सिंह

स्व0 देवी सिंह

नगला चुचाना बांईपुर आगरा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4) 5976 BD 615976

सत्येन्द्र पाल
कोषाधिकारी
24 MAR 2015
कोषागार, आगरा

विक्रेता की संख्या (एक) प्रथमपक्ष

राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह निवासी नगला चुचाना, बांईपुर, सिकन्दरा, तहसील व जिला आगरा।

क्रेता की संख्या (एक) द्वितीयपक्ष

गोविन्द इन्फ्राप्लानर प्रा. लि. द्वारा निदेशक विशाल अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल निवासी सी-64, कमला नगर, आगरा।

राजेन्द्र सिंह

For Govind Infra... Private Limited

Director

27

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन 13/4/15 - बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता गोविन्द इन्फ्रा प्लानर प्रा० लि० आगरा द्वारा निदेशक विशाल अग्रवाल -

स्टाम्प की धनराशि 5000/-

पुनीत चतुर्वेदी

पुनीत चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता
लाइ० सं० 65

16

क्रेता

Registration No. : 1724 Year : 2,015 Book No. : 1

0201 विशाल अग्रवाल निदेशक
कैलाश चन्द अग्रवाल
सी 64 कमला नगर आगरा
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (5) BD 615977

सत्येन्द्र पाल
कोषाधिकारी
24 MAR 2015
कोषागार, आगरा

जो कि विक्रेता प्रथम पक्ष ने उक्त भाग प्लाट क्षेत्रफल 52.19 वर्गमीटर को बजिरये बैनामा दिनांक 27.11.2013 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, प्रथम आगरा में वही नम्बर 1 जिल्द 8611 सफा 27/44 व नम्बर 6430 पर व तारीख 27.11.2013 हुई है नविस्ता श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री भोला राम मौसूमा स्वयं क्रय किया और उस पर कब्जा व दखल प्राप्त किया कि जो विक्रेता प्रथम पक्ष के दखल व कब्जे में चला आता है इस तरीके पर विक्रेता प्रथम पक्ष ऊपर लिखे भाग प्लाट के एकमात्र पूर्ण स्वामी व अधिकारी चले आते हैं। सिवाये विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य कोई साझीदार व भागीदार विक्रेता प्रथमपक्ष का नहीं है कि जो विक्रेता प्रथमपक्ष के किसी काम में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट उत्पन्न कर सकें बल्कि विक्रेता प्रथमपक्ष को अपने उक्त जमीन की बावत समस्त अधिकार स्वामित्व विक्रय आदि हर प्रकार के प्राप्त हैं। विक्रेता प्रथमपक्ष की ऊपर लिखा भाग प्लाट आज तक हर प्रकार के कर्जे व वार व इंतकाल व चार्ज जमानत व कुर्की व हुक्म नीलाम व मुआहिदा वैय व एक्यूटेबिल मोर्गेज आदि से पूर्ण सुरक्षित है। कोई सरकारी या गैर सरकारी अथवा बैंक आदि का लोन नहीं है एवं किसी वित्तीय संस्थान के लोन की देनदारी में नहीं है न किसी टैक्स की देनदारी में है एवं नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और न ही सीलिंग विभाग द्वारा अधिगृहित किया गया है और न ही कोई मुआवजा प्राप्त किया है एवं उक्त प्लाट की बावत किसी भी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं हर तरीके से पाक साफ व निर्विवादित है।

For Govind Infraland Private Limited

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (6) BD 615978

सत्येन्द्र पाल
कोषाधिकारी
24 MAR 2015
कोषागार, आगरा

विक्रेता प्रथमपक्ष ने ऊपर लिखे प्लाट संख्या 165 का अपना खरीद कर्दा भाग क्षेत्रफल 52.19 वर्गमीटर को मय समस्त मालिकाना अधिकार व आधिपत्य सहित मय नामांकन अधिकारों के स्वेच्छा एवं प्रसन्नता पूर्वक विला किसी दबाव नाजायज के खूब सोच समझकर अपने परिवारीजन से सलाह व मशबिरा करते हुये व अपना हित व लाभ देखते हुये बाजारी कीमत से व एवज 4,70,000/- रुपया (चार लाख सतर हजार रुपया) कि आधे जिसके 2,35,000/- रुपया (दो लाख पैतीस हजार रुपया) होते हैं बदस्त गोविन्द इन्फ्राप्लानर प्रा. लि. द्वारा निदेशक विशाल अग्रवाल क्रेता द्वितीयपक्ष उक्त को कतई वैय कर दिया और बेच दिया।

For Govind Infraplanner Private Limited

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

AR 290329

सत्येन्द्र पाल
कोषाधिकारी
26 MAR 2015
कोषागार, आगरा

कीमत के कुल 4,70,000/- रुपया विक्रेता प्रथमपक्ष ने क्रेता द्वितीयपक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त किये :-

1- 20,000/- रुपया नगद

2- 4,50,000/- रुपया द्वारा चैक संख्या 363648 दिनांक 18.04.2015 ओरियन्टल बैंक ऑफ कोमर्स शाखा कमला नगर आगरा।

कुल योगः 4,70,000/- रुपया।

उक्त प्राप्ति का इकबाल विक्रेता प्रथम पक्ष वक्त रजिस्ट्री समक्ष निबन्धन अधिकारी करते हैं। अब बावत कीमत विक्रेता प्रथमपक्ष का व जिम्मे क्रेता द्वितीयपक्ष से कुछ पाना बाकी नहीं रहा और न आयंदा होगा।

विक्रेता प्रथम पक्ष ने कब्जा व दखल विक्रीत भाग प्लाट पर वाकई खाली पर क्रेता को देते हुऐ व क्रेता का कराते हुए क्रेता को विक्रीत जमीन का पूर्ण स्वामी व अधिकारी बना दिया। अब विक्रीत जमीन में कोई हक व अधिकार विक्रेता प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का बाकी नहीं रहा। आज से समस्त अधिकार स्वामित्व विक्रेता प्रथमपक्ष की ओर से विक्रय होकर क्रेता द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये। क्रेता चाहे जैसे लाभ उठावे औरं जो चाहे सो करे। हस्व मर्जी अपने तामीरात आदि करावे, नल बिजली कनेक्शन प्राप्त करे, स्वयं आबाद रहे या किराये पर उठावे आवश्यकतानुसार रहन व वैय आदि जो चाहे सो करें या जिस प्रकार मुनासिब समझे विक्रीत जमीन से लाभान्वित होवें। विक्रेता प्रथमपक्ष द्वारा क्रेता को विक्रीत जमीन की बावत गुडटाईटिल की पूरी गारन्टी दी जाती है।

राजेन्द्रसिंह

For ... Limited

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

AR 290330

2 5 MAR 2016

अगर विक्रीत जमीन विक्रेता प्रथमपक्ष के किसी साझीदार या भागीदार या वारिस या विधिक प्रतिनिधि के दावा व झगड़ा करने के कारण कब्जा कुल या उसका कोई अंश किसी प्रकार क्रेता के अधिकार व आधिपत्य व स्वामित्व या कब्जे से निकल जावे या विक्रेता प्रथमपक्ष की मिल्कियत में कोई कानूनी कमी पायी जावे या कोई वार या चार्ज पाये जाने के कारण किसी को कुछ देना या खर्च करना पड़े तो उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरेसमन मय लागत हर्जा व खर्चा मय सूद कानूनी के जिम्मे विक्रेता प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों के है और आयन्दा होगी। ऐसी प्रत्येक दशा में क्रेता अपना तमाम रुपया जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवें जिसमें विक्रेता प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों को कुछ उजर व एतराज न होगा।

क्रेता अपने नाम का नामांकन समस्त सरकारी विभागों में वहैसियत स्वामी अंकित करा लेंगे। विक्रेता अपनी सहमति प्रदान कर देंगे। इस विक्रय पत्र के सम्बन्ध में भविष्य में किसी शपथ पत्र या पूरक पत्र या अन्य किसी विलेख की आवश्यकता होगी तो विक्रेता प्रथमपक्ष क्रेता द्वितीयपक्ष के मांग व खर्चे पर निष्पादित करने व निबन्धित कराने के लिये पाबन्द रहेंगे।

इस विक्रय पत्र के समस्त खर्चे क्रेता ने वहन किये हैं।

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

AR 290331

25 MAR 2015

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। तहरीर दिनांक 18.04.2015 दस्तावेज मुकिरान के कथनानुसार तहरीर किया गया कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। पक्षकारान की पहचान; निम्न गवाहान ने की है व मसौदा संजीव अग्रवाल एडवोकेट सदर तहसील आगरा टाईप बाई जयन्त पचौरी सदर तहसील आगरा।

For Govind Infoplaner Private Limited

Director

साक्षी:- ओमी कुमार पुत्र श्री बेताल
नगला महल मौजा लखनपुर आगरा
ओमी कुमार

साक्षी:- मनोप्रकाश पुत्र श्री ब्रह्मस्वरूप
बी-16 मनोहरपुर नई आवादी कालोनी
कमला नगर आगरा

मनोप्रकाश

33

स्टाम्प विक्रय की तिथि 16-4-15

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...

स्टाम्प की धनराशि 1000/-

मुकेश अग्रवाल
स्टाम्प विक्रेता
ला० सं० 180, मान्य अवधि 31-3-2017
तहसील सदर, आगरा

आज दिनांक **18/04/2015** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **9259**

पृष्ठ सं. **153** से **172** पर कमांक **1724**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मनीष कुमार सिंह
उप निबंधक प्रथम
सदर आगरा
18/4/2015

SITE PLAN OF PLOT NO. 165 (PART) ON KH. NO. 1511 (M) SITUATED AT DURGA NAGAR MAUZA BAIPUR TEH. & DISTT. AGRA.

SELLER: SRI. RAJENDRA SINGH

PURCHASER: GOVIND INFRA PLANAR PVT. LTD.

(SHOWN IN RED COLOUR)

AREA: 52.19 SQM

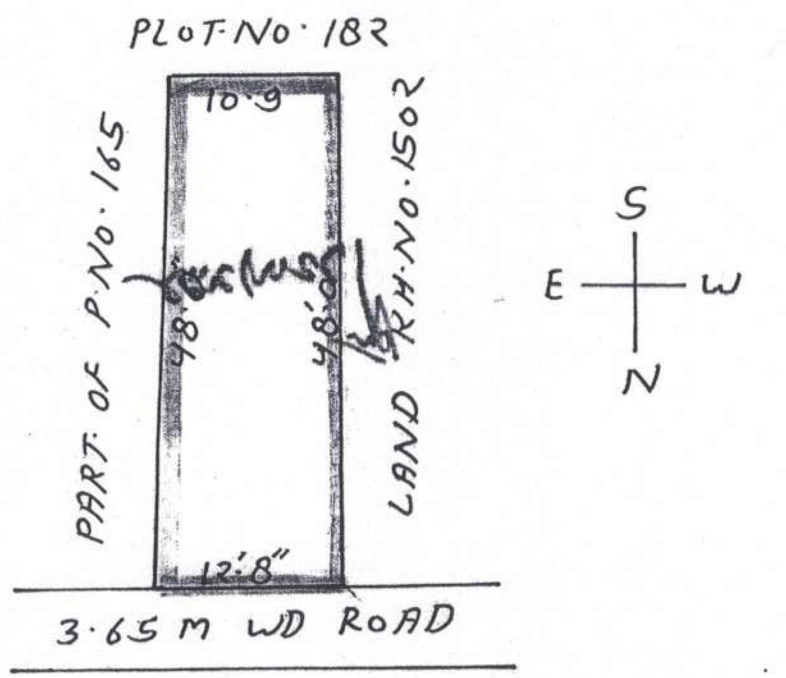

TRACED BY